पहले: एच.एस. राय, जे.

-जगदीश राम,-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-प्रतिवादी। 1986 का आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 258

25 मई 1989.

आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1974 का द्वितीय)–एस. 145–का दायरा–याचिकाकर्ता के पक्ष में सिविल कोर्ट द्वारा जारी निषेधाज्ञा–याचिकाकर्ता कब्जा बरकरार रखने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है और हस्तक्षेप करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों से संपर्क करता है–ऐसे हस्तक्षेप–की वैधता।

माना गया कि ऐसे मामले अज्ञात नहीं हैं जिनमें सिविल कोर्ट द्वारा जारी निषेधाज्ञा के बावजूद पार्टियों ने निषेधाज्ञा आदेशों की अवहेलना करते हुए भूमि पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की थी। यदि कोई पक्ष जिसके पक्ष में सिविल कोर्ट द्वारा निषेधाज्ञा है, वह कब्जा बरकरार रखने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है और अपने कब्जे की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने के लिए अधिकारियों से संपर्क करता है तो यह उचित होगा, यदि पुलिस ऐसी स्थिति में हस्तक्षेप करती है। सिविल न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का उल्लंघन नहीं किया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है। ऐसी स्थिति में यह समानांतर कार्यवाही नहीं होगी क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता, 1974 की धारा 145 के तहत शुरू की गई कार्यवाही सिविल न्यायालय की सहायता के लिए है।

(पैरा 8)

माना गया कि संहिता की धारा 145 के तहत ऐसे मामले में कार्यवाही जहां उस पक्ष के कहने पर शुरू की गई है जिसके पक्ष में सिविल कोर्ट का आदेश है, उसके दावे की रक्षा और

उसे मजबूत करने के लिए सक्षम है। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा इसे रद्द करना उचित नहीं था।

(पैरा 8)

सीआरपीसी की धारा 401 के तहत पुनरीक्षण के लिए याचिका श्री सी. आर. गोयल, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिरसा की अदालत के 4 दिसंबर, 1985 के आदेश के अनुसार, श्री उग्गर सेन, एच.सी.एस. के आदेश को पलट दिया गया। उपमंडल मजिस्ट्रेट, सिरसा ने दिनांक 8 अगस्त, 1984 को पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर ली और धारा 145 के तहत विद्वान ट्रायल मजिस्ट्रेट द्वारा शुरू किए गए आक्षेपित आदेश और कार्यवाही को रद्द कर दिया।

दंड प्रक्रिया संहिता की. आरोप : धारा 145 सी.पी.सी. के तहत।

याचिकाकर्ता के वकील आर. एस. चीमा।
प्रतिवादी संख्या 2 के लिए पी. सी. मेहता, अधिवक्ता और एस.एन. सैनी, अधिवक्ता।
राज्य की ओर से रामनिवास लोहान, अधिवक्ता। प्रतिवादी क्रमांक 3 के लिए कोई नहीं।

<u>आदेश</u>

हरबंस सिंह राय, जे.

(1) जसवंत प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता जगदीश राम और उसके भाई ओंकार चंद के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक नागरिक मुकदमा दायर किया। विद्वान उप-न्यायाधीश, जिनके समक्ष उक्त मामला लंबित था, ने एक आदेश जारी किया। जसवन्त के पक्ष में और जगदीश राम तथा अन्य के विरुद्ध एक पक्षीय निषेधाज्ञा दी गई, जिससे उन्हें वाद भूमि पर उसके

कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोका गया। पक्षों की सुनवाई के बाद 21 सितंबर, 1983 को इस एकपक्षीय विज्ञापन-अंतरिम निषेधाज्ञा की पुष्टि की गई। उप-न्यायाधीश द्वारा पारित निषेधाज्ञा आदेश की विद्वान द्वारा पुष्टि की गई

जिला न्यायाधीश, सिरसा ने -जगदीश राम और ओंकार चंद द्वारा दायर एक अपील में अपने आदेश दिनांक 17 अक्टूबर, 1983 द्वारा।

(2) धारा 145, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'संहिता') के तहत पुलिस द्वारा दायर कैलेंडर के अनुसार, किशन चंद और उनके बेटे जसवन्त ने पुलिस के समक्ष इस आशय का एक आवेदन दिया कि याचिकाकर्ता जगदीश राम और ओंकार चंद सिविल होने के बावजूद जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहता था

कोर्ट ने उन पर रोक लगा दी थी. पुलिस ने पूछताछ के बाद सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, सिरसा का रुख किया, जिन्होंने जांच के बाद पाया कि याचिकाकर्ता जगदीश राम और उनके भाई ओंकार चंद का विवादित संपत्ति पर कब्जा था। व्यथित महसूस करते हुए, जसवंत प्रतिवादी ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिरसा की अदालत में एक पुनरीक्षण दायर किया, जिन्होंने 4 दिसंबर, 1985 के अपने आदेश के तहत पुनरीक्षण को स्वीकार कर लिया और माना कि चूंकि मामला एक सिविल न्यायालय के समक्ष था, इसलिए उपमंडल मजिस्ट्रेट के पास कोई अधिकार नहीं था। संहिता की धारा 145 के तहत समानांतर कार्यवाही शुरू करने और उक्त कार्यवाही को रद्द करने का क्षेत्राधिकार।

(3) व्यथित होकर जगदीश राम ने यह पुनरीक्षण याचिका दायर की है।

(4) मैंने पार्टियों के विद्वान वकील को सुना है और उनकी मदद से रिकॉर्ड और प्रासंगिक कानून का अध्ययन किया है।

(5) यह विवादित नहीं है कि सिविल कोर्ट ने जगदीश राम और उनके भाई ओंकार चंद को मुकदमे की जमीन पर उनके कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकते हुए जसवंत के पक्ष में एक अंतरिम निषेधाज्ञा दी थी। इस निषेधाज्ञा की पुष्टि जिला न्यायाधीश ने जगदीश राम और

ओंकार चंद द्वारा दायर अपील में की थी। यह विवादित नहीं है कि सिविल मुकदमा और धारा 145 के तहत कार्यवाही कोड एक ही भूमि से संबंधित हैं।

(6) विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने संशोधन को स्वीकार करते हुए माना है कि चूंकि सिविल मुकदमा लंबित था, इसलिए संहिता की धारा 145 के तहत कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती थी और इस संबंध में
उक्त कार्यवाही को निरस्त करें।

(7) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री आर.एस. चीमा ने प्रस्तुत किया है कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कानूनी स्थिति के बारे में गलत दृष्टिकोण अपनाया है। इस मामले की परिस्थितियों में संहिता की धारा 145 के तहत कार्यवाही सक्षम है। वह .ने अपने तर्क के समर्थन में कई निर्णयों का हवाला दिया है, जबकि प्रतिवादी नंबर 2 के विद्वान वकील श्री पी.सी. मेहता ने दावा किया है कि चूंकि मामला सिविल कोर्ट के समक्ष लंबित है, इसलिए संहिता की धारा 145 के तहत कोई समानांतर कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। . मैंने दोनों विद्वान वकीलों की दलीलों पर विचार किया है और उनके द्वारा उद्धृत अधिकारियों का अध्ययन किया है।

(8) संहिता की धारा 145 संबंधित अधिकारियों को आपात स्थिति में तत्काल निवारक कार्रवाई करने का अधिकार देती है। ऐसे मामले अज्ञात नहीं हैं जिनमें सिविल न्यायालय द्वारा जारी निषेधाज्ञा के बावजूद पक्षों ने निषेधाज्ञा आदेशों की अवहेलना करते हुए भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया था। अगर कोई पार्टी किसके पक्ष में
सिविल कोर्ट द्वारा एक निषेधाज्ञा है जो कब्जे को बरकरार रखने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है और अपने कब्जे की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने के लिए अधिकारियों से संपर्क करती है, अगर पुलिस ऐसी स्थिति में हस्तक्षेप करती है तो यह उपयुक्त होगा ताकि सिविल द्वारा पारित आदेशों को रोका जा सके। न्यायालय का उल्लंघन नहीं किया जाता और उसका सम्मान किया जाता है। ऐसी स्थिति में यह समानांतर कार्यवाही नहीं होगी क्योंकि संहिता

की धारा 145 के तहत शुरू की गई कार्यवाही सिविल न्यायालय की सहायता के लिए है। प्रतिवादी जसवंत ने संहिता की धारा 145 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए अधिकारियों से संपर्क किया था क्योंकि उसे डर लग रहा था कि सिविल कोर्ट के आदेशों के बावजूद दूसरा पक्ष कब्जा न कर ले और उसे बेदखल न कर दे। यह उनके पुनरीक्षण पर है कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने माना है कि संहिता की धारा 145 के तहत कार्यवाही सक्षम नहीं है। जगदीश राम, जिन्होंने खुद को कमजोर महसूस किया और सिविल कोर्ट के आदेशों के बावजूद कार्यकारी अधिकारियों से मदद मांगी और संहिता की धारा 145 के तहत कार्यवाही के लिए अनुरोध किया, अब इसे इस दौर में चुनौती नहीं दे सकते कि ये समानांतर कार्यवाही हैं, न ही विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा इस आधार पर कार्यवाही को रद्द करना कानूनी रूप से उचित था कि मामला पहले से ही सिविल न्यायालय में था। ऐसे मामले में संहिता की धारा 145 के तहत कार्यवाही जहां उस पक्ष के अनुरोध पर शुरू की गई है जिसके पक्ष में सिविल न्यायालय का आदेश है, सुरक्षा करने और करने में सक्षम हैं अपना दावा मजबूत करें. विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा इसे रद्द करना उचित नहीं था।

(9) ऊपर बताई गई कानूनी स्थिति को देखते हुए, विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश का आदेश उचित नहीं है। इसे रद्द कर दिया गया है और पुनरीक्षण पर निर्णय लेने के लिए मामले को वापस उसके पास भेज दिया गया है याचिकाकर्ता, जगदीश और उसके भाई ओंकार चंद के खिलाफ प्रतिवादी जसवंत द्वारा गुण-दोष के आधार पर धारा के तहत कार्यवाही के रूप में दायर किया गया

संहिता के 145 सक्षम हैं। इन टिप्पणियों के साथ, यह संशोधन निस्तारित किया जाता है।

पहले: जी. सी. मितल और एस. एस. सोढ़ी, जे.जे.

आयकर आयुक्त,पटियाला,-आवेदक।

बनाम

पंजाब राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन-फेडरेशन लिमिटेड, - प्रतिवादी।

1982 का आयकर संदर्भ संख्या 58, 4 अप्रैल 1989।

आयकर अधिनियम (1961 का XLIII)–एस. 81(1)(सी)-छूट-समाज अपने सदस्यों से कृषि उपज की बिक्री से आय अर्जित करता है-समाज की आय-क्या कृषि आय-ऐसे सदस्य उत्पादक नहीं हैं-निर्धारिती द्वारा प्राप्त सब्सिडी की राशि-ऐसी आय-क्या कर सकते हैं छूट दी जाए. यह माना गया कि भले ही कोई सदस्य कृषि उपज का उत्पादक नहीं है, लेकिन किसी सदस्य की कृषि उपज की खरीद और बिक्री से प्राप्त आय आयकर लगाने से मुक्त है, और ऐसी आय की कुल आय की गणना में कटौती की जानी है। निर्धारिती

(पैरा 6)

यह माना गया कि रसीद के चरित्र पर विचार किया जाना चाहिए और यदि खाद्यान्न की खरीद मूल्य के लिए सब्सिडी दी गई थी तो यह सब्सिडी की राशि से खरीद मूल्य को कम करने के चरित्र का हिस्सा होगा, जिसके परिणामस्वरूप आय में वृद्धि होगी। सब्सिडी. भले ही निर्धारिती की आय रुपये बढ़ जाए। 40,000', क्योंकि यह कृषि उपज की बिक्री और खरीद से संबंधित है ।

<u>अस्वीकरण:</u> स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

दीपाली सिंगला

प्रशिक्षु न्यायिक

अधिकारी

(Trainee Judicial

Officer)

फ़रीदाबाद, हरियाणा